कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)

drda.bmt@gmail.com Phone No -07824-222609 & Fax No. 222609

ज्ञापन

क्र./ 6592 /जि.पंचा./स्था./भर्ती/2017–18 बेमेतरा, दिनांक 30/12/2017

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
एन.आई.सी.
जिला – बेमेतरा

विषय :– **आर.जी.एस.ए.अंतर्गत जिला समन्वयक, एवं सहायक जिला समन्वयक (संविदा) रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन प्रारूप को प्रकाशन बाबत्।**

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि **आर.जी.एस.ए.अंतर्गत जिला समन्वयक, एवं सहायक जिला समन्वयक (संविदा) रिक्त पदों की** भर्ती किये जाने के निर्देश है। उक्त के परिपेक्ष्य में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप को जिले की वेबसाईट **WWW.bemetara.gov.in** में प्रकाशित कराने संलग्न पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

तत्संबंध में आर.जी.एस.ए. अंतर्गत **जिला समन्वयक, एवं सहायक जिला समन्वयक (संविदा)** के रिक्त पद के भर्ती हेतु जारी विज्ञापन प्रारूप को जिले की वेबसाईट **WWW.bemetara.gov.in** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न – यथोपरि।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

पृ. क्र./ 6593 /जि.पंचा./पंचा/स्था./2017–18 बेमेतरा, दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला रोजगार अधिकारी, बेमेतरा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कार्यालयीन सूचना फलक पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)_

//विज्ञापन//

क्रमांक/उप संचा.पंचा./स्था./ RGSA /भर्ती /2017/ 6588 बेमेतरा, दिनांक 30/12/2017

अवर सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/.22/पंग्राविवि /RGSA/144/2017/541 दिनांक 15.03.2017, एवं अवर सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/22/पं.ग्रा.वि.वि./ RGSA/144/2017/429 दिनांक 14.12.2017 तथा संचालक, पंचायत संचालनालय, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र. क्रमांक/पंचा/RGSA/144/2017/445 नया रायपुर दिनांक 21.12.2017 के तारतम्य में राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित पदों की संविदा भर्ती हेतु नीचे वर्णित निर्धारित अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक ....को शाम 5.30 बजे तक केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

विवरण

क्र.	पद	कुल पद	अनारक्षित				योग
			मुक्त	महिला	भूपूसै	योग	
1	जिला समन्वयक (DPM) RGSA	1	1	—	—	1	1
2	सहायक जिला समन्वयक (ADPM) RGSA	1	1	—	—	1	1

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ

क्र	पदनाम	रिक्त पद की संख्या	वेतन प्रतिमाह	न्यूनतम/अनिवार्य अर्हता	रिमार्क	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला समन्वयक (DPM) RGSA	1	35,000/— संविदा एकमुस्त	1. बी.ई./बी.टेक/(कम्प्यूटर साईंस/ आईटी/ एम.सी.ए.) में न्यूनतम 60% अंक 2. शासकीय संस्थान से डाटाबेस /प्रोग्रामिंग संबंधित कार्यो का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70%	70
					न्यूनतम कार्यानुभव 2 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 05 अंक (अधिकतम 20 अंक)	20
					साक्षात्कार	10
	कुल अंक					100

क्र	पदनाम	रिक्त पद की संख्या	वेतन प्रतिमाह	न्यूनतम/अनिवार्य अर्हता	रिमार्क	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
2	सहायक जिला समन्वयक (ADPM) RGSA	1	25,000/— संविदा एकमुस्त	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबन्धन में स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण । 2. शासकीय संस्था से 01 वर्ष का समान कार्य का अनुभव	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70%	70
					न्यूनतम कार्यानुभव 1 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 05 अंक (अधिकतम 20 अंक)	20
					साक्षात्कार	10
	कुल अंक					100

टीपः— 1. उपरोक्त पदों के भर्ती संबंधी पात्रता एवं शेष शर्तों का अवलोकन तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत— बेमेतरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** पर देखा जा सकता है।

1. पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

नियम एवं शर्ते –

1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
2. यह संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ9–1/2004/1/3 दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
3. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
4. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा इन पदों के संबंध में समय–समय पर समस्त नियम, निर्देश, आदेश यथावत लागू होंगे।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है, परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
6. नियुक्ति संविदा आधार पर सामान्यतः 1 वर्ष या शासन के निरंतरता आदेश के अनुरूप नियत अवधि के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
7. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी (संविदा) होगी एवं बिना कारण बताएँ सेवा समाप्त की जा सकती है।
8. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किए जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ठ या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।
9. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यार्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन/उपदान या मृत्युलाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
11. नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. भर्ती के संबंध में सम्भागीय आयुक्त अपीलीय अधिकारी होंगे।
13. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है अतः योजना अन्तर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेगी।
14. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
15. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने पर अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा।
16. आवेदक को अपेक्षित पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य योग्यताएं आवेदन तिथि के पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है।
17. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 अधिकतम 30 वर्ष तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 40 वर्ष परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय--समय पर जारी छुट संबंधी आदेश–निर्देश लागू होगा।
18. आवेदन पत्र में चस्पा किया गया फोटो वर्तमान का होना चाहिए तथा संलग्न समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
19. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए। वांछित प्रमाण–पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
20. प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन दिया जाना होगा तथा पेपर कटिंग वाले आवेदन मान्य नही किया जावेगा।
21. लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं वर्ग स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें । आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 02 लिफाफा जिसमें 25 रूपये का पोस्टेज टिकट चिपका कर संलग्न करें।
22. आवेदन बंद लिफाफे में **कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)** को प्रेषित करते हुए केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से **दिनांक** 15-01-18 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
23. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
24. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

25. आरक्षित वर्ग के पद हेतु उम्मीदवारों को समक्ष प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
27. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी का संलग्न करना अनिवार्य है।
28. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
29. विस्तृत नियम– शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत– रायगढ़, के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

आवेदन–पत्र का प्रारूप

स्वअभिप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–बेमेतरा (छ.ग.)।

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. वर्ग (अना/अ.जा./अ.ज.जा./अपिव.)

5. लिंगः महिला/पुरूष :– ....

6. (अ)–जन्मतिथि (अंको में) :– वर्ष ....माह ....दिन..............................

(शब्दों) :– ....

(ब)–(दिनांक 01.01.2017 को :–वर्ष..........................माह..........................दिन.................................

आयु) :– ....

7. मोबाईल नंबर :– ....

8. वर्तमान डाक का पता जिस पर :– ....
पत्र व्यवहार किया जावेगा ....
....

9. स्थायी पता :– ....
....

8. राष्ट्रीयता :– ....

9. क्या छ.ग. के मूल निवासी है ? :-- ....
हाँ/नहीं (यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा)

10. क्या अधिकतम आयु सीमा में छुट चाहते हैं.? ....
(यदि हॉ तो किस श्रेणी से उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

क्रमशः.........02

12. कार्य का अनुभव –

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण/कार्यक्षेत्र	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ....

दिनांक ....

रोजगार कार्यालय का नाम ....

14. क्या आप विवाहित हैं? यदि हाँ तो विवाह की तिथि..

15. जीवित बच्चों की संख्या (बच्चों का नाम/लिंग एवं जन्मतिथि सहित) ....

16. क्या अभ्यार्थी के विरूध्द दाण्डिक प्रकरण ....
किसी पुलिस थानें/न्यायालय में लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुके हैं? यदि हां. तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

17. आवेदक शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था में सेवारत है/थे?(यदि हां तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा संलग्न करें)

18. आवेदक 02 कोरी लिफाफा जिस पर अपना पत्र व्यवहार का पता व 25/– रूपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें।

संलग्न :– सत्यापित प्रमाण–पत्रों की सूची विवरण सहित :–

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

7 .... 8 ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण/समस्त अभिलेख मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पाई जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकेती है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस आधार पर मुझे बिना नोटिस दिए मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

स्थानः–
दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम व पता ....